



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 166 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 फरवरी, 2023

संख्या- 03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 967--भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री बिनय मनीष आर. लकड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 45/20, गृह जिला राँची), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री लकड़ा अपने कार्यों के साथ भू-सम्पदा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या- 03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 968--अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 111/20, गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में अपर नगर आयुक्त, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 969--प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री कौशल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 222/20, गृह जिला राँची), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत दुमका अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।
